

20. 1323 Sale 46,36,000/-

P.5 Deodhoor

1199

(1)

T-4
10/12/16



4.252X 1088962
4630266/-

Area
4.252 Dec

Refund
Rs-139080-00
1390-80
8-
140470-80

05AA 263492
Stamp
185500/-

निबंधन अधिनियम... 21 ...ने अंगीन
और छोटाना...
धारा... जमान भी प्राप्त है और
इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1909 के खण्ड A(1) के
खण्ड... 2.2 ...के अंगीन दफ्तरी स्टाम्प सहित
(या स्टाम्प शुल्क के विधुक्त या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं)

10.12.16
सबडिविजन पदाधिकारी

दस्तावेज जांच किया

10/12/16

10.12.16


बिक्रय पत्र

बिक्रेता :- श्रीमती नितुन मेहरा, पति श्री गोकुल मेहरा, धर्म हिन्दू, जाति चमार, पेशा गृहस्वामीनी, साकिन गोराडीह, रोहिणी, थाना जसीडीह, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, वर्तमान साकिन बेलाबागान, देवघर टाउन, थाना देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता-भारतीय।
पेन कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न।

- 1 -

सूचना अनुसार वंजी के जांचर
पर सुपान्तन कोष किया
जांच कर 10/12/16

डोगागर पदाधिकारी
देवघर



प्रमोद कुमार राय पिता स्व
धुधिठर प्रसाद राय स्त्री
धौरलास थाना जसीडीह
जिला - देवघर ।

For Sale deed


10000 X 18 = 180000 = 00
5000 X 1 = 5000 = 00
500 X 1 = 500 = 00

Total — 1,85,500 = 00

(one lac eighty five thousand five hundred only)

22/11/16

Stamp Clerk
Doghar Treasury
P. O. & Dist. Doghar



Attestation
Sitaran Pandit

निवृत्त सेहरा
10.12.16

श्री. निवृत्त सेहरा... निवासी श्री. स्व. श्री. ...
जन्म तिथि 22/11/16...
क अवर निवृत्त सेहरा...
संख्या...
मे से एक को...
ता. 10.12.16...
(समय) जिला में निवृत्त सेहरा...
उपस्थापक का हस्ताक्षर
निवृत्त सेहरा का हस्ताक्षर





05AA 263491

निवेदन संहरा

क्रेता :-1.श्री प्रमोद कुमार राय पिता स्वर्गीय युधिष्ठिर प्रसाद राय।

2.श्री प्रत्युष प्रसून पिता श्री प्रमोद कुमार राय।

धर्म हिन्दू, जाति भुमिहार ब्राहमण, पेशा न0 1 अवकाश प्राप्त, न0 2 नौकरी, साकिनान घोरलास, थाना जसीडीह, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री जिला देवघर, राज्य झारखण्ड, वर्तमान पता गिरि कोठी, कुण्डू बंगला मधुपुर, थाना मधुपुर, जिला देवघर, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता-भारतीय।

पेन कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न।



निपुण मेहरा

लेख्य प्रकार :- बिक्रय पत्र।

बिक्रीत सम्पत्ति की कीमत :- कुल 33,35,000/- - तैंतीस लाख पैंतीस हजार रूपये मात्र।

बिक्रीत सम्पत्ति का विवरण :- निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है।



05AA 263488

सुरंजन चक्रवर्ती

सम्पत्ति के मालिक सुरंजन चक्रवर्ती पिता राधिका रंजन चक्रवर्ती, साकिन 22/3 करणा रोड, कलकत्ता-19 के निवासी से खरीद किये व उसपर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय देवघर में नामान्तरण वाद संख्या 129/1968-69 के द्वारा अपना नाम दर्ज करवाकर सालाना मालगुजारी आदाय करते हुए ताजिन्दगी निर्विवाद रूप से भोग दखल करते रहे।

6



05AA 263487

रिप्ट मेहरा

उपर्युक्त रामेश्वर प्रसाद साह के स्वर्गवास कर जाने पर उनके पुत्र अशोक कुमार केशरी, सत्यनारायण प्रसाद केशरी, हीरेन प्रसाद केशरी, अरविन्द प्रसाद केशरी, शैलेश कुमार केशरी नाबालिग व पत्नी शीला देवी खुद व गार्जीयन तरफ नाबालिग पुत्र शैलेश कुमार केशरी, वारिस सुत्र से उक्त सम्पत्ति के मालिक होकर निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार रहते हुए दिनांक 05/01/1987 ईस्वी में निबधन कार्यालय देवघर से निबधित विक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 8, पृष्ठ संख्या 556 से 563 में निबधित जिसकी संख्या 54 वर्ष 1987 ईस्वी के द्वारा, रकवा रोहिणी ईस्टेट के माप से कमबेसी 2 (दो) कटठा यानि 12 (बारह) डिसमित, अन्दर सेटलमेन्ट प्लाट न0 248, अन्दर टाउन प्लान प्लाट न0 1475, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न0 10, उसके बाद 11, बमोजीव उक्त दस्तावेज के संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश मय कुल हक हकूक, उपर्युक्त मुझ बिक्रेता के पास बिक्री कर दिया, बिक्रय पत्र की छायाप्रति जो संशोधन पत्र में अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

7



05AA 263486

अरविन्द
 केशरी

उपर्युक्त मैं बिक्रेता उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय देवघर में अपना नाम दर्ज करवाकर जमाबंदी न0 21/9 के बावत सालाना मालगुजारी आदाय करती हुई बहैसियत पूर्ण मालकिन आजतक निर्विवाद रूप से भोगवती व दखलकारीणी हूँ, मालगुजारी रसीद की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक-1

उक्त बिक्रय पत्र के पन्ना संख्या 1 के धारी 5 में गलती से अरुण प्रसाद केशरी टंकित हो गया है जो कि सही में अरविन्द कुमार केशरी है।



रिजिस्ट्रार

उक्त बिक्रय पत्र के पन्ना संख्या 3 में लेख्यधारी का जाति टंकित होना छुट गया है जो आप लेख्यधारी का जाति चमार है।

उक्त बिक्रय पत्र के पन्ना संख्या 4 के धारी 3 में 4250 वर्गफीट टंकित हो गया है जो कि सही में 2.94 एकड़ है।

(9)



05AA 263484

विश्व मेहरा

उक्त बिक्रय पत्र के पन्ना संख्या 4 के धारी 13 में गलती से दस्तावेज संख्या तथा दिनांक टंकित होना छुट गया है जो कि दस्तावेज संख्या 3542 तथा दिनांक 24/07/1968 है, बिक्रय पत्र की छायाप्रति जो संशोधन पत्र में अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।



05AA 263483

सत्यमेव जयते

उक्त विक्रय पत्र के तफसील सम्पत्ति यानि पन्ना संख्या 9 के धारी में 9 में गलती से जमाबंदी न0 21/8 टंकित हो गया है जो कि सही में जमाबंदी न0 21/9 है।

उक्त विक्रय पत्र के संलग्न नक्शा में अमीन द्वारा गलती से जमाबंदी न0 21/8 लिखा गया है जो कि सही में जमाबंदी न0 21/9 है।



05AA 263482

मधुसुदन
 मधुसुदन

उक्त बिक्रय पत्र के संलग्न नक्शा में गलती से मौजा मधुसुदनछोराट लिखा गया है जो कि सही में मौजा मदारीचक है।

उक्त बिक्रय पत्र के तफसील सम्पत्ति के उत्तर तरफ की चौहद्धी में लेख्यकारी की जमीन टंकित हो गया है जिसमें पुर्व से प्रस्तावित रास्ता 06'-00" फीट का था लेकिन वर्तमान में 04'-00" फीट का रास्ता है एवं नितुन मेहरा अपने नीज खरीदगी जमीन से 06'-00" फीट का रास्ता दे रहीं है, कुल रास्ता 10'-00" फीट चौड़ा हो जाता है जो कि सुरेन्द्र सिंह के घर तक जाती है एवं उसके बाद पुनः यह रास्ता 06'-00" फीट हो जाता है जो दिलीप चौधरी के घर तक चली जाती है।



05AA 263481

राजेश मेहरा

उक्त बिक्रय पत्र के तफसील सम्पत्ति के दक्षिण तरफ की चौहद्दी में जर्नादन प्रसाद सिंह का मकान टंकित हो गया है जो कि दक्षिण तरफ की चौहद्दी में द्विवेदी जी की जमीन व मकान है।



05AA 263480

रविशंकर शर्मा

उपर्युक्त हिरेन प्रसाद केशरी के स्वर्गवास कर जाने पर उनके पुत्र अमन केशरी उनके कानूनी उत्तराधिकारी व वारिसान हैं तथा उपर्युक्त शीला देवी के स्वर्गवास कर जाने पर उपर्युक्त अशोक कुमार केशरी, सत्यनारायण प्रसाद केशरी, अरविन्द प्रसाद केशरी, शैलेश कुमार केशरी उनके कानूनी उत्तराधिकारी व वारिसान हैं।

उपर्युक्त श्री अशोक कुमार केशरी, श्री सत्यनारायण प्रसाद केशरी, दोनों के पिता स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद साह, श्री अमन केशरी, पिता स्वर्गीय हिरेन प्रसाद केशरी, श्री अरविन्द कुमार केशरी, श्री शैलेश कुमार केशरी, दोनों के पिता स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद साह, साकिनान हरि किशुन साह लेन, बी. देवघर, थाना व जिला देवघर के निवासीगण ने दिनांक 14/09/2016 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित संशोधन पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 168, पृष्ठ संख्या 245 से 314 में निबंधित जिसकी सिलसिलेवार संख्या 1023, दस्तावेज संख्या 928 वर्ष 2016 ईस्वी के द्वारा, उक्त बिक्रय पत्र संख्या 54 वर्ष 1987 ईस्वी का उक्त गलतियों को सुधार करते हुए संशोधन कर दिये, संशोधन पत्र की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक-2



05AA 263480

अमन केशरी
 सहाय

उपर्युक्त हिरेन प्रसाद केशरी के स्वर्गवास कर जाने पर उनके पुत्र अमन केशरी उनके कानूनी उत्तराधिकारी व वारिसान हैं तथा उपर्युक्त शीला देवी के स्वर्गवास कर जाने पर उपर्युक्त अशोक कुमार केशरी, सत्यनारायण प्रसाद केशरी, अरविन्द प्रसाद केशरी, शैलेश कुमार केशरी उनके कानूनी उत्तराधिकारी व वारिसान हैं।

उपर्युक्त श्री अशोक कुमार केशरी, श्री सत्यनारायण प्रसाद केशरी, दोनों के पिता स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद साह, श्री अमन केशरी, पिता स्वर्गीय हिरेन प्रसाद केशरी, श्री अरविन्द कुमार केशरी, श्री शैलेश कुमार केशरी, दोनों के पिता स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद साह, साकिनान हरि किशुन साह लेन, बी. देवघर, थाना व जिला देवघर के निवासीगण ने दिनांक 14/09/2016 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित संशोधन पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 168, पृष्ठ संख्या 245 से 314 में निबंधित जिसकी सिलसिलेवार संख्या 1023, दस्तावेज संख्या 928 वर्ष 2016 ईस्वी के द्वारा, उक्त बिकय पत्र संख्या 54 वर्ष 1987 ईस्वी का उक्त गलतियों को सुधार करते हुए संशोधन कर दिये, संशोधन पत्र की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक-2



05AA 263479

रु 10000

अभी मुझ बिक्रेता को अपने आवश्यक जरूरी सांसारिक खर्च के लिये रुपये की सख्त जरूरत है, इसलिये रकवा 1,852.5 वर्गफीट जिसका पुर्ण विवरण निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है, को बिक्री करने का ऐलान किया।

आप क्रेता इसे अभी के बाजार भाव की दर से अधिकतम कीमत पर खरीद करने की इच्छा जाहिर करने पर उभय पक्ष की मंजूरी से इसकी कीमत कुल 33,35,000/- तैंतीस लाख पैंतीस हजार रुपये कायम हुए।



05AA 263478

सुधरा
सिपा

अतएव आज तारीख में बिक्रेता, आप क्रेता से कीमत के कुल 33,35,000/- तैंतीस लाख पैंतीस हजार रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of Consideration) अनुसार लेकर निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक आप क्रेता के पास बिक्री कर दिया और आपके दखल कब्जे में दे दिया।

अब आप क्रेता, मुझ बिक्रेता के सत्व व दखल से सत्ववान व दखलकार होकर मय अपने उत्तराधिकारी मय वारिसान व स्थलाभिषिक्तगण क्रम से भोग, दखल, दान, बिक्री, मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने के अधिकारी होकर स्वेच्छा पूर्वक भोग दखल करते रहें, इसमें मुझ बिक्रेता मय वारिसान को किसी भी तरह की उज्र-आपत्ति नहीं होगी न कोई कर सकेगा। अगर कोई करे तो वह न्यायालय से निरस्त होगा।



05AA 263477

1234
 5678

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति की मैं बिक्रेता ही एकमात्र मालकिन हूँ, इसमें दूसरा कोई अंशदार या दखलकार नहीं है व इसके पहले निम्न सम्पत्ति को किसी के पास किसी तरह का दाय-संयुक्त या हस्तान्तरण आदि नहीं किया हूँ। हर तरह से साफ व पाक है।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति के संबंध में अगर भविष्य में, मुझ बिक्रेता मय वारिसान को कुछ लिखना या करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में, आप क्रेता मय वारिसान के अनुरोध एवं खर्च से वैसा लिखने व करने को तैयार रहूँगी।



05AA 263476

निम्न संदेश

निम्न विक्रीत सम्पत्ति के बावत आप क्रेता मय वारिसान सरकारी सिरिस्ता में अपना नाम दर्ज कराकर वार्षिक मालगुजारी व टैक्स आदि आदाय किया करेंगी।

अतएव आज तारीख मैं बिक्रेता स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दवाब या बहकावे के कीमत के कुल रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of Consideration) अनुसार लेकर यह बिक्रय पत्र लिख दिये जो प्रमाण रहे, दिनांक 10/12/2016



05AA 263475

लिन सहरा

अनुसूची सम्पत्ति

थाना न० 256, जिला, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, सामील मौजा मदारीचक के अन्दर सर्वेक्षित बसौड़ी सत्त्व की हस्तान्तरणीय जमीन, रकवा 1,852.5 वर्गफीट (एक हजार आठ सौ बावन दशमलव पाँच वर्गफीट) यानि 4.252 डिसमिल परती व खाली जमीन, अन्दर गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट प्लाट न० 248, अन्दर जमाबंदी न० 21/9, अन्दर टाउन प्लान प्लाट न० 1475, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न० 11, देवघर नगर निगम वार्ड न० पुराना 3, नया 14, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक बिक्री किया जिसकी चौहद्दी—



पिठान संघर

उत्तर :-12'-00" फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता।

इधर की माप पुरबा पश्चिमा 30'-00" फीट।

दक्षिण :-द्विवेदी जी का मकान एवं जमीन।

इधर की माप पुरबा पश्चिमा 30'-00" फीट।



झारखण्ड JHARKHAND

A 960401

निवृत्त सदस्य

पुरब :-सुनीता देवी एवं प्रमोद कुमार की खरीदगी जमीन।

इधर की माप उत्तरा दखिना 62'-06" फीट।

पश्चिम :-बिक्रेता की जमीन।


इधर की माप उत्तरा दखिना 61'-00" फीट।

सिद्धांत मेहरा

घोषणा :- उक्त बिक्रीत सम्पत्ति अन्य सड़क में है जो आवासीय है तथा लीज से मुक्त है, निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प दिया गया है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति सरकारी भूमि (केशरे हिन्द भूमि/गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/बन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के अर्जित/हस्तान्तरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) के अर्न्तगत नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति गोचर, भूहदबन्दी, आदिवासी खाते की नहीं है व कब्रिस्तान, दरगाह या अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है तथा चारागाह के अर्न्तगत भी नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति सी. बी. आई जॉच के दायरे से बाहर है तथा निबंधन के लिये किसी तरह का रोक नहीं है। यदि उक्त कथन में कोई विसंगति पायी जाती है तो विधि संगत कानूनी कार्रवाही की भागी होउंगी।

गवाहान




Gopal Mehra
Sole Proprietor
Sankar Rd, Belabagan, Deeghar
10.12.16
9576510380

2

गोतम मटवा
10.12.16

पिता-श. शजेव् मटवा
नन्दन पहड राड
देववर

9570016273

निवृत्त मेहरा

रकम प्राप्ति रसीद


(Memo of Consideration)

1. Draft No. 234522 dt. 29/11/2016 Vananchal Gramin Bank Jagdishpur
of Rs.-----15,00,000=00
2. By Cash of Rs.-----18,35,000=00
Total---33,35,000=00

निवृत्त मेहरा

निशान मेहरा

बिक्रेता का फोटो, हस्ताक्षर एवं टीप निशान-----



Arrested by me
S. Narayan Pandey

निशान मेहरा
10.12.16




73552657128
9576510380

पिता न संदेश

24

क्रेता का फोटो, हस्ताक्षर एवं टीप निशान-----



Phramod Kumar Ray
Hastakshar by same person
sitaram pandit

Phramod Kumar Ray 10.12.16
8298004996



Pratyaksh Prasad
Hastakshar by same person
sitaram pandit

Pratyaksh Prasad 10.12.16
7209649586



दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया, प्रारूप कर्ता सीताराम पंडित
डीडरायटर, देवघर, दिनांक 10.12.2016
प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र, दस्तावेज में लगा है, के
बाँये हाथ के अंगुलियों के निशान मेरे द्वारा लिये गये हैं सीताराम पंडित
डीड रायटर देवघर, दिनांक 10.12.2016

L.N.37(5)82

1023

Deed of purchase

928

T-12
20/07/16
T-3
14/09/16
10

928



झारखण्ड JHARKHAND

P.S. Deoghar

Stamp 1000 -

428693

निबंधन अधिनियम 21
और छोटानागपुर
धारा
इण्डियन स्टाम्प
खण्ड 5(C)
(या स्वयं मुक्त)

पु. रि. 288.25
ए- 2000-00
30-0
2318-25

39
14.9.16

अमन केशरी 14.9.16
सत्यनारायण प्रसाद केशरी 14.9.16

Amankeshari 14.9.16

सत्यनारायण प्रसाद केशरी 14.9.16

अमन केशरी 14.9.16

बस्तावेज जांच विभाग (नैतिकता विभाग)

14/9/16

संशोधन पत्र वास्ते विक्रय पत्र संख्या 54 वर्ष 1987 ईस्वी

लेख्यकारी :- 1. श्री अशोक कुमार केशरी, 2. श्री सत्यनारायण प्रसाद केशरी, दोनों के पिता स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद साह।

3. श्री अमन केशरी, पिता स्वर्गीय हिरेन प्रसाद केशरी।

4. श्री अरविन्द कुमार केशरी, 5. श्री शैलेश कुमार केशरी, दोनों के पिता स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद साह।

धर्म हिन्दू, पेशा व्यवसाय, साकिनान हरि किशुन साह लेन, बी. देवघर, थाना देवघर, सहाइविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता-भारतीय।

आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न।

- 1 -

निदेश मंडल

आशोक न कुमार केशरी
सत्यनारायण प्रसाद केशरी

Aman Keshari

अरविन्द कुमार केशरी

श्रीलाल देवी केशरी

26

लेख्यधारी :- श्रीमती नितुन मेहरा, पति श्री गोकुल मेहरा, धर्म हिन्दू, जाति चमार, पेशा गृहस्वामीनी, साकिन गोराडीह, रोहिणी, थाना जसीडीह, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, वर्तमान साकिन बेलाबागान, देवघर टाउन, थाना देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता-भारतीय आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न।

लेख्य प्रकार :- संशोधन पत्र वास्ते बिक्रय पत्र संख्या 54 वर्ष 1987 ईस्वी।

विदित हो कि दिनांक 05/01/1987 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 6, पृष्ठ संख्या 556 से 563 में निबंधित जिसकी संख्या 54 वर्ष 1987 ईस्वी के द्वारा, उपर्युक्त हम लेख्यकारी संख्या 1 अशोक कुमार केशरी, लेख्यकारी संख्या 2 सत्यनारायण प्रसाद केशरी, हिरेन प्रसाद केशरी, लेख्यकारी संख्या 4 अरविन्द कुमार केशरी, शीला देवी व लेख्यकारी संख्या 5 शैलेश कुमार केशरी ने थाना देवघर के अन्तर्गत मौजा मदारीचक न0 256 के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन, सेटलमेन्ट प्लाट न0 248, टाउन प्लान प्लाट न0 1475, रकवा रोहिणी ईस्टेट के माप से कमबेसी 2 (दो) कटठा यानि 12 (बारह) डिसमिल, बमोजीव उक्त दस्तावेज के संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश मय कुल हक हकूक, आप लेख्यधारी के पास बिक्री किये हैं जिसपर आप लेख्यधारी दखल कब्जा लेकर आजतक निर्विवाद रूप से भोगवती व दखलकारीणी हैं, बिक्रय पत्र की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक-1

उक्त बिक्रय पत्र के पन्ना संख्या 1 के धारी 5 में गलती से अरुण प्रसाद केशरी टंकित हो गया है जो कि सही में अरविन्द कुमार केशरी है।

उक्त बिक्रय पत्र के पन्ना संख्या 3 में लेख्यधारी का जाति टंकित होना छुट गया है जो आप लेख्यधारी का जाति चमार है।

उक्त बिक्रय पत्र के पन्ना संख्या 4 के धारी 3 में 4250 वर्गफीट टंकित हो गया है जो कि सही में 2.94 एकड़ है।

नितुन मेहरा

Arun Keshari

उक्त बिक्रय पत्र के पन्ना संख्या 4 के धारी 13 में गलती से दस्तावेज संख्या तथा दिनांक टंकित होना छुट गया है जो कि दस्तावेज संख्या 3542 तथा दिनांक 24/07/1968 है, बिक्रय पत्र की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक-2

उक्त बिक्रय पत्र के तफसील सम्पत्ति यानि पन्ना संख्या 9 के धारी में 9 में गलती से जमाबंदी न0 21/8 टंकित हो गया है जो कि सही में जमाबंदी न0 21/9 है।

उक्त बिक्रय पत्र के संलग्न नक्शा में अमीन द्वारा गलती से जमाबंदी न0 21/8 लिखा गया है जो कि सही में जमाबंदी न0 21/9 है, जो संलग्न नक्शा में दर्शाया गया है।

उक्त बिक्रय पत्र के संलग्न नक्शा में गलती से मौजा मधुसुदनछोराट लिखा गया है जो कि सही में मौजा मदारीचक है।

उक्त बिक्रय पत्र के तफसील सम्पत्ति के उत्तर तरफ की चौहद्दी में लेख्यकारी की जमीन टंकित हो गया है जिसमें पूर्व से प्रस्तावित रास्ता 06'-00" फीट का था लेकिन वर्तमान में 04'-00" फीट का रास्ता है एवं नितुन मेहरा अपने नीज खरीदगी जमीन से 06'-00" फीट का रास्ता दे रहीं हैं कुल रास्ता 10'-00" फीट चौड़ा हो जाता है जो कि सुरेन्द्र सिंह के घर तक जाती है एवं उसके बाद पुनः यह रास्ता 06'-00" फीट हो जाता है जो दिलीप चौधरी के घर तक चली जाती है।

उक्त बिक्रय पत्र के तफसील सम्पत्ति के दक्षिण तरफ की चौहद्दी में जर्नादन प्रसाद सिंह का मकान टंकित हो गया है जो कि दक्षिण तरफ की चौहद्दी में द्विवेदी जी क जमीन व मकान है।

उपर्युक्त हिरेन प्रसाद केशरी के स्वर्गवास कर जाने पर लेख्यकारी संख्या 3 अमर केशरी उनके कानूनी उत्तराधिकारी व वारिसान हैं तथा उपर्युक्त शीला देवी व स्वर्गवास कर जाने पर उपर्युक्त हमलोग लेख्यकारी संख्या 1 से 5 तक उनके कानूनी उत्तराधिकारी व वारिसान हैं

मि. 1234 मेहरा

